क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 1260 /NGT-64/22

दिनांक : 15/3/23

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Submission of response/reply in compliance of the order dated-20.12.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 908 of 2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated 20.12.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 908 of 2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. Response/reply of U.P. Pollution Control Board- Responded No.-05 is annexed herewith.

With regards.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

15/03/2023
(Radhey Shyam)
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for persual and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1 , U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information please.
3. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

Regional Officer

O/c.
J/A S.A

Report in compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 908/2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) V/s MOEF & CC on 20.12.2022.

In OA No. 908/2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) V/s MoEF& CC Hon'ble NGT has issued direction to submit response/reply to the allegations of applicant by respondents. Site inspection was carried out by the representative of this office on 02.03.2023. No any representative was available at the time of inspection, Mr. Yatendra Kumar Bhati, applicanthas shared some information on mobile no.- 9311101333. On the basis of site inspection currentstatus is as below-

1. At Plot No. A-1, Village- Tugalpur, Haldauna, Knowledge Park-I, Greater Noidaone commercial complex has been built-up and in operation with several activities eg. Rented shops, Gym, Restaurants etc. No sewage treatment plant has been installed by the proponent. Sewage generated from commercial complex is discharged into sewer line of Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA). 137 MLD STP of GNIDA is installed and is operational at the terminal point of sewer line.
2. As per office record, project proponent of the commercial complex has not obtained Consent to Establish (CTE)/Consent to Operate (CTO) from UPPCB. No any other record in this regard is available in Regional Office of UPPCB, Greater Noida. Notice has been sent by Regional Officer, Greater Noida vide letter dated 14.03.2023, (copy enclosed) for compliance of Water and Air Act and explain the non-compliance within a week failing which action under Water and Air Act initiated against the complex.
3. Applicant Mr. Yatendra Kumar Bhati has informed that said Plot No. A-1, Village- Tugalpur, Haldauna, Knowledge Park-I, Greater Noida was allotted for 06% settlement (Abadi), but allottee Mr. Rajender Singh S/o Mr. MehtabSingh has illegally constructed commercial complex by encroaching the green belt area.
4. Order passed by Hon'ble NGT has been forwarded to GNIDAvide this office letter dated 24.02.2023 and 03.03.2023 with request to take necessary steps in this regard (Copy attached). Response of the GNIDA is still awaited.
5. Requisition letter has been sent to GNIDA vide letter no. 1752/NGT-64/22 dt. 10.03.2023 of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida for providing Land record, Allotment letter, Approved Map etc. from GNIDA (Copy attached). Response of the GNIDA is still awaited.
6. Land record, Allotment letter, Approved Map from GNIDA are not available in this office. Without above documents, facts of allegation raised by the applicant could not be verified.

Above information in for your kind consideration please.

15/03/2023	15/3/23.	15/03/2023
Scientific Assistant	Asst. Env. Engineer	Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन / फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 1688 /NGT-64/22

दिनांक : 24/2/23

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत ओ0ए0 सं0 908/2022 सचसेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 का प्रकरण रेस्पोण्डेड नं0–4 (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा ग्रेटर नोएडा के दक्षिण–पश्चिम में स्थित नॉलेज पार्क–1 में ग्रीनबेल्ट हेतु नोटिफाइड एरिया को श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह को 20 वर्ष हेतु निर्गत अनुबन्ध लाइसेंस दिनांक 27.05.2003 व अन्य से सम्बन्धित है (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है)। मा0 न्यायालय द्वारा दो माह के अन्दर प्रकरण में रेस्पोंस/रिप्लाई प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त वाद में अगली सुनवाई हेतु दिनांक 17.03.2023 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या समय से मा0 न्यायालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा उक्त की प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Radhey Shyam
Digitally signed by Radhey Shyam
Date: 2023.02.24 16:51:45 +05'30'

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Radhey Shyam
Digitally signed by Radhey Shyam
Date: 2023.02.24 16:52:16 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120.2321024

सन्दर्भ संख्या : 1735 /NGT-64/22 दिनांक : 3/3/23

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

email

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1688/एनजीटी–64/22 दिनांक 24.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.03.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं पाया गया। रिट में वर्णित मोबाईल नं0 9311101333 पर शिकायतकर्ता श्री यतेन्द्र कुमार भाटी से सम्पर्क कर स्थल के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की गयी। निरीक्षण आख्या तथा शिकायतकर्ता के अनुसार प्लॉट नं0– ए–1, ग्राम तुगलपुर हाल्दौना, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा पर प्राधिकरण के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर ग्रीनबेल्ट का अतिक्रमण करते हुये कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है। निरीक्षण के समय कॉम्पलेक्स का कोई अधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण स्वीकृत नक्शा, आवंटन पत्र, अन्य अभिलेख एवं विस्तृत जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी।

निरीक्षण आख्या तथा रिट में वर्णित अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर ग्रीनबेल्ट का अतिक्रमण करते हुये कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किये जाने से सम्बन्धित है, जिस पर प्रभावी कार्यवाही ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्तर से किया जाना आवश्यक है।

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 तथा इस कार्यालय द्वारा प्रश्नगत स्थल का किये गये निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर तत्सम्बन्धी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को निरीक्षण आख्या दिनांक 02.03.2023 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. विधि अधिकारी प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/23
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C
S.A

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 के अनुपालन में आपके निर्देशानुसार स्थल प्लॉट नं0– ए–1, ग्राम तुगलपुर हाल्दौना, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 02.03.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर कोई कार्यालय स्थापित नहीं पाया गया तथा कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के समय श्री यतेन्द्र कुमार भाटी मो0 नं0 9311101333 से वार्ता कर स्थल के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की गयी। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त प्लॉट पर एक कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स स्थापित/संचालित है। निरीक्षण के दौरान कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया तथा कोई निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया। कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में वर्तमान में किराये पर दुकानें, रेस्टोरेन्ट, जिम इत्यादि संचालित पाये गये। कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) स्थापित नहीं है तथा घरेलू उत्प्रवाह को सीधे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है।
2. निरीक्षण के समय श्री यतेन्द्र कुमार भाटी द्वारा अवगत कराया गया कि प्लॉट नं0– ए–1, ग्राम तुगलपुर हाल्दौना, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा पर 06 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के आवंटन के अन्तर्गत आवंटित था, परन्तु ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान का उल्लंघन कर उक्त स्थल पर ग्रीनबेल्ट का अतिक्रमण करते हुये कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रेषित रिट के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह द्वारा अवैध रूप से कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार प्लॉट नं0– ए–1, ग्राम तुगलपुर हाल्दौना, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं की गयी है।
4. निरीक्षण के दौरान कॉम्पलेक्स का कोई अधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं था। कार्यालय अभिलेखों में प्रश्नगत स्थल पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के आवंटन, नक्शा स्वीकृत तथा अन्य भू–अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।
5. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1688/एनजीटी–64/22 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 का प्रकरण अवैध रूप से कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किये जाने से सम्बन्धित है, जिससे प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

03/03/2023
(सुशील कुमार)
सहायक वैज्ञानिक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

3/3/23

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन / फैक्स. 0120.2321024

सन्दर्भ संख्या : 1752/NGT-84/22 दिनांक : 10/3/23

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.02.2023 तथा पत्र दिनांक 03.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रतियाँ संलग्न)। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्लॉट नं0– ए–1, ग्राम तुगलपुर हाल्दौना, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा पर प्राधिकरण के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर ग्रीनबेल्ट का अतिक्रमण करते हुये कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों में उक्त कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा, आवंटन पत्र, अन्य अभिलेख एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उक्त कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर ग्रीनबेल्ट का अतिक्रमण करते हुये निर्माण किया गया है, जिस पर प्रभावी कार्यवाही ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्तर से किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा, आवंटन पत्र, अन्य अभिलेख/विस्तृत जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में बोर्ड स्तर से भी अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. विधि अधिकारी प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/23
क्षेत्रीय अधिकारी

९८

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

दिनांक : 14/3/23

सन्दर्भ संख्या : 1759/क्षे0का0-ग्रे0-06/22

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मेहताब सिंह,
प्लॉट नं0– ए–1, तुगलपुर, हाल्दोना, नॉलेज पार्क–1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः प्लॉट नं0– ए–1, तुगलपुर, हाल्दोना, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा में निर्मित कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा उपरोक्त पते पर राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किए बिना कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया है। कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में किराए की दुकानें, जिम, क्लीनिक तथा रेस्टोरेन्ट संचालित की जा रही हैं। उक्त हेतु संचालनार्थ सहमति भी नहीं प्राप्त की गई है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु प्राधिकरण की अनुमति व कम्पलीशन प्रमाण–पत्र, कॉम्पलेक्स से जनित सीवेज के निस्तारण हेतु प्राधिकरण की अनुमति, जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण का विवरण तथा जल आपूर्ति सम्बन्धी व आवश्यक स्वीकृति/अनुमति का विवरण सहित पर्यावरणीय प्राविधानों की अनुपालन आख्या एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित कर ही कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का संचालन करें, अन्यथा की स्थिति में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के विरूद्ध कृत विधिक कार्यवाही हेतु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

14/03/23
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. विधि अधिकारी प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

E:\SA Sushil Sir\Notice\Letter.docx